मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
A Central University under Ministry of Education
Government of India

***दिनांक 22.04.2026 को अपराह्न 03:45 बजे आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।***

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे -

1. प्रो.एहतेशाम अहमद खान, **अध्यक्ष**
   ***प्रोफेसर, जनसंचार एवं पत्रकारित विभाग***
2. डॉ.शगुफ़्ता परवीन, **सदस्य / संयोजक**
   ***हिन्दी अधिकारी, हिन्दी प्रकोष्ठ***
3. प्रो. पठान रहीम खान, **सदस्य**
   ***प्रोफेसर, हिन्दी विभाग***
4. डॉ.गोविंदैया गोदावर्थि, **सदस्य**
   ***सहायक प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग***
5. डॉ.मु.मुस्तफ़ा अली सरवरी, **सदस्य**
   ***जनसंपर्क अधिकारी, मानू***
6. डॉ.वाजदा इशरत, **सदस्य**
   ***सहायक प्रोफेसर, दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केन्द्र***

सर्व-प्रथम संयोजक महोदया द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया और बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

***बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई:-***

**बिंदु सं.1. हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा की गई पिछली गतिविधियों का पुनरावलोकन।**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हिन्दी अधिकारी(राजभाषा अधिकारी) द्वारा हिन्दी प्रकोष्ठ की पूर्व गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।

- सूचित किया गया कि, हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय का वर्ष 2024-25 के 28वें वार्षिक लेखा का हिन्दी में अनुवाद किया गया।
- हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय की अधिसूचनाएं, आदेशों, सूचनाओं, परिपत्रों, मानक मसौदों आदि को द्विभाषी रूप में तैयार कर समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जा रहा है।
- सभी विभागाध्यक्षों तथा अनुभागाध्यक्षों को विभागों/अनुभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन से संबंधित परिपत्र परिचालित कर दिया गया है।
- सूचित किया गया कि, हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय की हिन्दी वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

**बिंदु सं. 2. विश्वविद्यालय के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना।**

सदस्यों का सुझाव था कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 के कार्यान्वयन से अवगत कराया जाए तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के प्रचार-प्रसार के लिए सभी विभागों एवं अनुभागों में संबंधित परिपत्र जारी कर राजभाषा (हिन्दी) के प्रति जागरूक कराया जाए। हिंदी प्रज्ञा और हिंदी पारंगत उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं से भी इस संबंध में सहयोग देने का अनुरोध किया जाए।

सदस्यों का सुझाव था कि, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय/यूजीसी तथा अन्य संस्थाओं से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में देने का प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा यह नियम का उल्लंघन होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक: **26.02.2026** को सी-डैक पुणे एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **"भारती- बहुभाषी अनुवाद सारथी"** पर आयोजित एक दिवसीय अनुवाद कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में प्राप्त प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य प्रचार-प्रसार एवं जागरूक करने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक: 21.04.2026 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित 18वीं अर्धवार्षिक बैठक में हिन्दी अधिकारी एवं हिन्दी अनुवादक ने भाग लिया, बैठक में छमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई तथा सुझाव दिए गए।

**बिंदु सं. 3. तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संबंध में चर्चा।**

समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया गया कि, दिसंबर, 2025 तक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट ,राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेज दी गई है और जनवरी – मार्च, 2026 तक की रिपोर्ट हेतु विश्वविद्यालय के अलग-अलग विभागों/अनुभागों को जानकारी मंगवाने की प्रक्रिया जारी है।

**बिंदु सं. 4. अध्यक्ष की आज्ञा से कोई भी अन्य मद।**

अध्यक्ष महोदय का सुझाव था कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित **"भारती- बहुभाषी अनुवाद सारथी"** अनुवाद टूल के उपयोग से संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय के प्रत्येक अनुभागाध्यक्ष / कर्मचारी को प्रदान की जाए साथ ही अनुभागों के अनुभागाध्यक्षों/कर्मचारियों को द्विभाषी रबड़ मोहर, द्विभाषी पत्र-शीर्ष, दस्तावेज़(द्विभाषी) तैयार करवाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।

**हिन्दी अधिकारी**
**सदस्य एवं संयोजक**
**मानू, हैदराबाद**